भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

# प्रवासी भारतीय मतदाताओं

## के लिए पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया

### जानकारी सहायता पुस्तिका

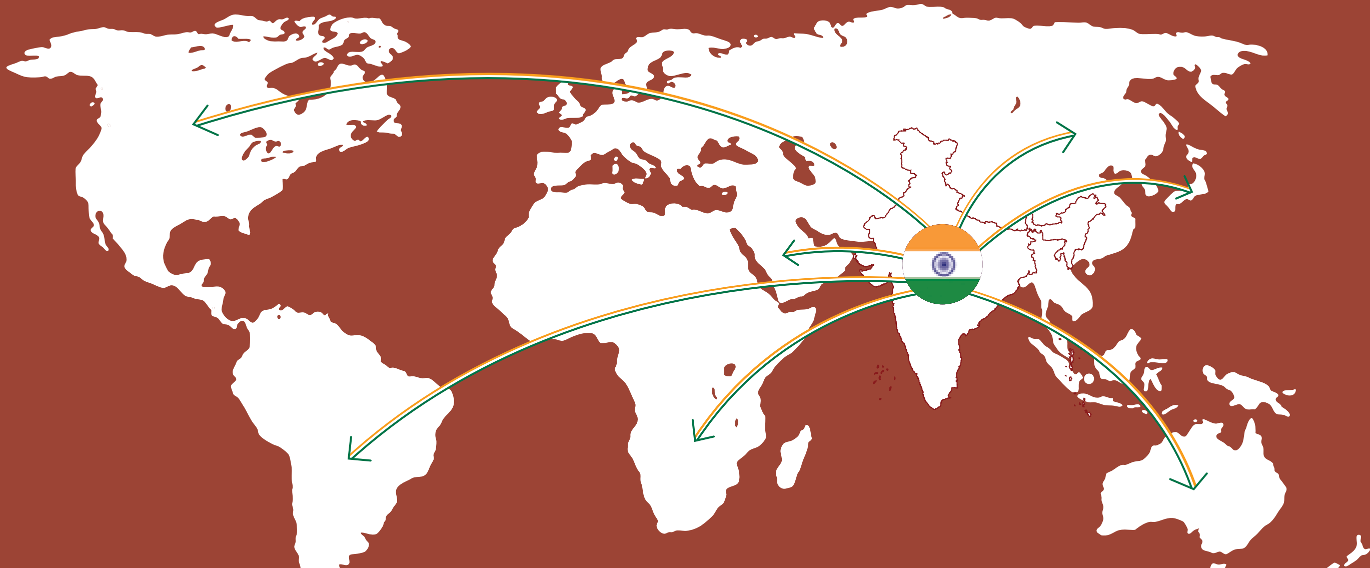

**सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)**

**भारत निर्वाचन आयोग**

# प्रवासी भारतीय मतदाता कौन बन सकते हैं?

प्रवासी भारतीय मतदाता

भारत का वह नागरिक जो रोजगार शिक्षा इत्यादि के कारण से वैद्द रूप से विदेश में प्रवास कर रहा है।

यदि अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं ली हो, और भारतीय पासपोर्ट धारक हो, तो वह **पासपोर्ट में लिखे पते पर** मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे कर चुके हों।

मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के अपात्र नहीं हों।

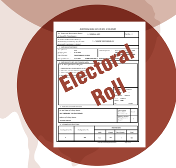


## मतदाता सूची में कौन पंजीकृत नहीं हो सकता

- जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया गया हो।
- जो भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अंतर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

# मतदाता सूची में पंजीकरण कैसे करें

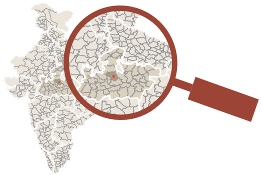

पासपोर्ट में लिखे निवास के जिले/राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र और भाग के नाम **www.eci.nic.in** से पता लगाएं।

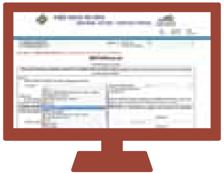

**www.nvsp.in** पर ऑनलाइन **फार्म 6A** भरें और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।

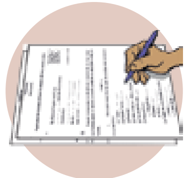

या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट **www.eci.nic.in** से **फार्म 6A** डाउनलोड करें। **फार्म 6A** दो प्रतियों में भरें और अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ERO को भेज दें। ERO की सूची **www.eci.nic.in** पर उपलब्ध है।

भारतीय मिशनों में भी फार्म निःशुल्क उपलब्ध हैं।

## कौन से आवश्यक दस्तावेज लगाएं अथवा अपलोड करें?

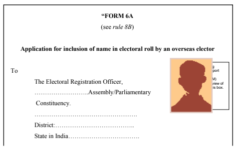

"FORM 6A

(see rule 8B)

Application for inclusion of name in electoral roll by an overseas elector

To

The Electoral Registration Officer,

........................Assembly/Parliamentary Constituency.

District:..........................................

State in India..........................................

हाल ही का एक रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ **फार्म 6A** में चिपकाएं।

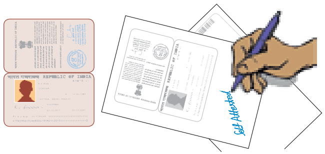

अपने पासपोर्ट के फोटोग्राफ वाले पृष्ठ, भारत में पता तथा अन्य विवरण वाले पृष्ठ की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतियां।

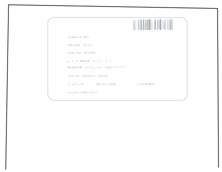

पासपोर्ट का वह पृष्ठ जिसमें वैध वीजा की पुष्टि हो।

दस्तावेजों की हर फोटो कॉपी स्वयं प्रमाणित की जानी चाहिए।

## ऑनलाइन के अलावा फार्म व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा किया जा सकता है

अपने निर्वाचन क्षेत्र के ERO/AERO के पास व्यक्तिगत रूप से भी फार्म भर सकते हैं। यदि ERO के समक्ष व्यक्तिगत रूप से फार्म जमा किया जाता है तो पासपोर्ट प्रमाणित करना होगा।

पंजीकरण के संबंध में निर्देश ECI वेबसाइट **www.eci.nic.in** पर उपलब्ध है।

## सत्यापन प्रक्रिया: फार्म जमा करने के पश्चात

बूथ लेवल अधिकारी BLO आपके पासपोर्ट में लिखे पते पर जाएंगे और दस्तावेजों की पुष्टि के लिए जांच करेंगे।

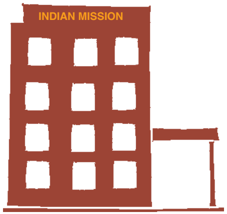


जहां दस्तावेजों की पुष्टि के लिए कोई संबंधी नहीं है या संबंधी घोषणा नहीं देना चाहते, तो दस्तावेज भारतीय मिशन को पुष्टि के लिए भेजे जाएंगे।

**फार्म 6A** में दिए गए मोबाइल नम्बर और पते पर आपको ERO के निर्णय की सूचना SMS और डाक द्वारा दी जाएगी।

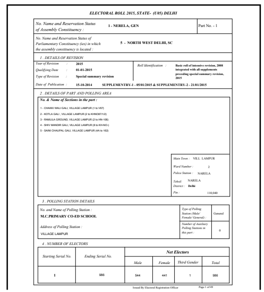
ELECTORAL ROLL 2015, STATE- (U05) DELHI

मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर हैं। प्रवासी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची के अंतिम भाग में होता है।

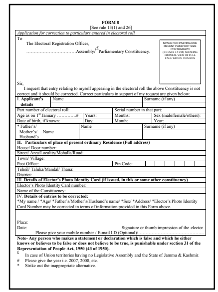
FORM 8

मतदाता सूची में अपने किसी विवरण में सुधार करने के लिए **फार्म 8** का प्रयोग करें।

# आप अपना बहुमूल्य वोट भारत में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में मतदान दिवस पर आकर दे सकते हैं

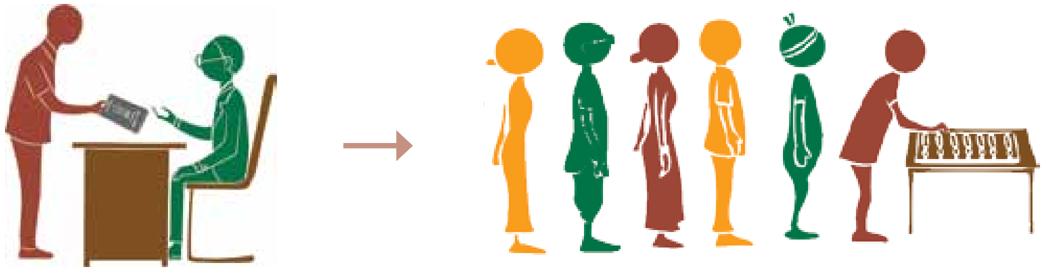

प्रवासी मतदाता को **EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र)** की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मूल पासपोर्ट को मतदान केंद्र पर दिखा कर वोट कर सकते हैं।

प्रवासी भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए अन्य विकल्प विचाराधीन हैं।

## वोट कैसे डालें?

मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

प्रथम चुनाव अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखेगा और आपका पासपोर्ट देखेगा।

दूसरा चुनाव अधिकारी आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर लेगा।

आपको यह पर्ची तीसरे चुनाव अधिकारी के पास जमा करवानी होगी और स्याही लगी हुई अपनी अंगुली दिखानी होगी और फिर मतदान बूथ की ओर बढ़ना होगा।

वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न के सामने बटन दबाएं, आपको एक बीप आवाज सुनाई देगी।

यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम में अंतिम बटन नोटा (इनमें से कोई नहीं), दबा सकते हैं।

# याद रखें

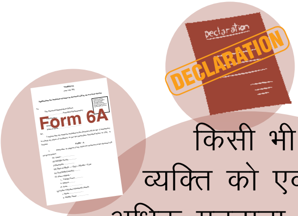


किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता – जब आप प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण कराते हैं तो आपको एक घोषणापत्र जमा करना होगा कि आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

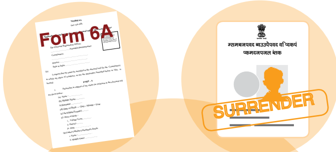


यदि आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं तो आपको **फार्म 6A** जमा करने के साथ–साथ अपना EPIC जमा करना होगा।

जब आप भारत वापस आ जाते हैं तो आप अपने सामान्य निवास स्थान पर सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं।

**अतः आज ही पंजीकरण कराएं ताकि आप अगले चुनावों में मतदान कर सकें।**

দৃঢ়তৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে বৃহত্তৰ অংশগ্ৰহণ

**ശക്തമായ ജനാധിപത്യത്തിന്**
**വർദ്ധിച്ച ജനപങ്കാളിത്തം**

મજબૂત લોકશાહી - સૌની ભાગીદારી

मजगुत लोकतंत्र मे सभक सहभागिता

गोख्रों सुबुं खुंथायनि थाखाय गोबां बाहागो लानाय

ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ

**बळीश्ट लोकशायें खातीर चडांत चड वांटेकार जायात**

**मजबूत प्रजातन्त्रका लागी ब्यापक सहभागिता**

**केंटेच राज आरी लगित सेन-रा भाग हटाउ**

مضبوط جمہوریت سب کی شرکت

ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ధృడమైన ప్రజాస్వామ్యానికి ఘనమైన ప్రాతినిధ్యం

# Greater Participation for a Stronger Democracy

## मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी

வலுவான ஜனநாயகத்திற்கு பெருமளவில் பங்கேற்றல்

শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য অধিকতর অংশগ্রহণ

मज़बूत लोकशाहीअ लाइ आला हिस्सेदारी

**ಸುಭದ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ.**

زیادہ شمولیت مضبوط جمہوریت

મજબૂત લોકશાહી - સૌની ભાગીદારી

हेन्ना मपाङ्गल कनबा गनतन्त्र ओइलबा मीयामना अहेन्ना शारुक याबा

*Mipui Sawrkar chak chak zawk siam turin mipuite i tel theuh ang u*

1950 में स्थापित, **भारत निर्वाचन आयोग** राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति के पदों संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है, निर्वाचक नामावली बनाता एवं समय–समय पर उसका अध्यतन करता है, और प्रत्याशियों के नामांकन एवं चुनाव प्रचार की निगरानी करता है। इसके साथ–साथ स्वीप कार्यक्रम के जरिये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या की जागरूक और सक्रिय चुनाव सहभागिता भी सुनिश्चित करता है।

**भारत का संविधान** लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक स्थिति और अवस्थिति के भेदभाव के बिना प्रत्येक योग्य नागरिक को वोट का अधिकार देता है और हर एक वोट बराबर मायने रखता है। अतः, सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और मताधिकार का प्रयोग करके अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करें।

**सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (SVEEP)** कार्यक्रम निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को शिक्षित करने के साथ–साथ इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाता है। स्वीप निम्नलिखित तीन नीतियों पर आधारित है।

**सूचना:** पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में 'क्या' 'कब' 'कहाँ' और 'कैसे' के बारे में सूचना देना।

**प्रेरणा:** लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान से संबंधित जिज्ञासा का जवाब देना।

**सुविधा:** निर्वाचक सहभागिता को सरल, सुविधाजनक और अनुकूल बनाना।

## संपर्क करें

आप **www.eci.nic.in** पर फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वीप पोर्टल **www.ecisveep.nic.in** पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विशिष्ट ECI मर्चेन्डाइज जीत सकते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल **www.nvsp.in** पर online पंजीकरण की सुविधा के अतिरिक्त कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं।

**सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)**
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
दूरभाष: 011-23717391-98 Ext. 314, 436, 283